प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

19-2-18 वकील श्रीमान [illegible] पत्रावली प्रस्तुत
वाद के साथ निरांकित [illegible] को पेश हुई

05.4.18 प्रतिवादी सूर्य प्रकाश द्वारा
स्वयं उपस्थित होकर इस प्रार्थना पत्र में
आगे कोई कार्यवाही नहीं करने बाबत
[illegible] हकान पर लिखित में देकर अपने हस्ताक्षर
व अपनी पहचान हेतु आधार आई.डी पेश
की। प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही
नहीं चाहते से यह प्रार्थना पत्र खारिज किया
जाता है दिनांक 01-2-2016 को जारी अस्थाई
निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है
पत्रावली फैसला शुमार होकर शामिल दफ्तर
वाद 11/2016 के साथ सलंग्न हो

(यशपाल गादूया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

सूर्य प्र
जिला
1—
2—
3—
4—
5—